eISSN- 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 01, Issue 01, October 2024

उत्तर प्रदेश में लिंग आधारित हिंसाः मुद्दे और रणनीतियाँ

डा0 मनीषा[1]

[1]सहायक प्रोफेसर, एस0 एस0 डिग्री कालेज कानपुर, उत्तर प्रदेश

Received: 20 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Oct 2024

Abstract

लिंग आधारित हिंसा जिसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रूप में भी जाना जाता है, केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और संरचनात्मक जड़ों वाली एक गहरी वैश्विक घटना है। इसमें ऐतिहासिक रूप से निर्मित शक्ति गतिशीलता और असमानता को बनाए रखने वाले सामाजिक मानदंडों से उत्पन्न लिंग के आधार पर व्यक्तियों पर निर्देशित हानिकारक कृत्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। लिंग आधारित हिंसा की जड़ें सांस्कृतिक, आर्थिक और संरचनात्मक असमानताओं में अंतर्निहित हैं, जो सदियों से विकसित हुई हैं।

शब्द संक्षेप– उत्तर प्रदेश, लिंग आधारित हिंसा, मुद्दे, रणनीतियाँ

Introduction

सांस्कृतिक रूप से, हिंसा पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा कायम है जो कठोर लिंग भूमिकाओं को परिभाषित करते हैं, अक्सर पुरुष प्रभुत्व को प्राथमिकता देते हैं और महिलाओं को हाशिए पर रखते हैं। इन मानदंडों को पारिवारिक संरचनाओं, शैक्षिक प्रणालियों, धार्मिक सिद्धांतों और मीडिया कथाओं के माध्यम से मजबूत किया जाता है, जो सभी व्यक्तियों को असमान शक्ति गतिशीलता को प्राकृतिक या पारंपरिक के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाल विवाह, दहेज–संबंधी हिंसा, सम्मान हत्याएं और घरेलू दुर्व्यवहार जैसी प्रथाएं सांस्कृतिक मान्यताओं की अभिव्यक्तियाँ हैं जो महिलाओं का अवमूल्यन करती हैं और उनकी स्वायत्तता को प्रतिबंधित करती हैं।

संरचनात्मक जड़ें संरचनात्मक स्तर पर, जी.बी.वी. प्रणालीगत असमानताओं द्वारा कायम रहती है जो महिलाओं की संसाधनों, अवसरों और निर्णय लेने के स्थानों तक पहुँच को सीमित करती हैं। आर्थिक प्रणालियाँ अक्सर कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करके, समान वेतन से इनकार करके और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच को सीमित करके महिलाओं को हाशिए पर रखती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से, महिलाएँ अक्सर खुद को अनिश्चित या अवैतनिक श्रम भूमिकाओं में पाती हैं, जिससे हिंसा के प्रति उनकी भेद्यता और बढ़ जाती है। वैश्विक आर्थिक असमानताओं की भूमिका वैश्विक आर्थिक असमानताएँ भी जी.बी.वी. को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

शोध प्रविधि– ग्राउंडेड थ्योरी पद्धति, ग्राउंडेड थ्योरी, जैसा कि स्ट्रॉस और कॉर्बिन (1998) द्वारा परिभाषित किया गया है, में शोध प्रक्रिया के दौरान व्यवस्थित रूप से एकत्रित डेटा से सिद्धांत प्राप्त करना शामिल है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष वास्तविक दुनिया के अनुभवों और डेटा में निहित रहें। गुणात्मक और मात्रात्मक एकीकरण, गुणात्मक विधियाँ, उत्तरजीवियों के जीवित अनुभवों, जी.बी.वी. को बनाए रखने वाले सामाजिक मानदंडों और इसे संबोधित करने में संस्थागत चुनौतियों की गहन समझ प्रदान करें।

©RESEARCH STREAM JOURNAL, 2024

eISSN- 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 01, Issue 01, October 2024

मात्रात्मक विधियाँ, सर्वेक्षणों और द्वितीयक स्रोतों से डेटा का उपयोग करके जी.बी.वी. की व्यापकता, पैटर्न और प्रवृत्तियों में मापनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करें। तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण– अध्ययन में राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की जी.बी.वी. चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण शामिल है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा से निष्कर्षों को संश्लेषित करने के लिए विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह विधियों का संयोजन एक मजबूत और विश्वसनीय विश्लेषण सुनिश्चित करता है।

भारत सहित विकासशील देशों में गरीबी, सीमित शिक्षा और महिलाओं के लिए अपर्याप्त संस्थागत समर्थन के कारण अक्सर जी.बी.वी. की दर अधिक होती है। आर्थिक अस्थिरता लिंग आधारित पदानुक्रम को तीव्र करती है, जिससे महिलाओं को आश्रित भूमिकाओं में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वे शोषण और हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक संकटों का सामना करने वाले क्षेत्रों में तस्करी और जबरन श्रम बढ़ जाता है, जहाँ महिलाएँ और बच्चे असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ऐतिहासिक हाशिए पर होना ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं को शासन, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी सहित प्रमुख सामाजिक भूमिकाओं से बाहर रखा गया है। इस हाशिए पर होने की वजह से असमानता की एक विरासत बनी है जो समकालीन लिंग संबंधों को आकार देना जारी रखती है। भारत जैसे देशों में औपनिवेशिक इतिहास, जाति आधारित भेदभाव और सामंती व्यवस्था ने संस्थागत पदानुक्रमों को स्थापित करके जी.बी.वी. को और मजबूत किया है, जो महिलाओं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं का अवमूल्यन करते हैं।

संस्कृति और संरचना का प्रतिच्छेदन सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारक अक्सर जी.बी.वी. को मजबूत करने के लिए प्रतिच्छेद करते हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक मानदंड महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि कानूनी और संस्थागत प्रणालियाँ अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में विफल रहती हैं। यह अंतर–संबंध हिंसा के एक चक्र को बनाए रखता है जिसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण और संरचनात्मक असमानताओं दोनों को संबोधित किए बिना तोड़ना मुश्किल है। व्यापक समझ की ओर जी.बी.वी. को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, इसकी बहुमुखी प्रकृति को पहचानना महत्वपूर्ण है। इसमें यह समझना शामिल है कि सांस्कृतिक मानदंड, ऐतिहासिक संदर्भ और संरचनात्मक असमानताएँ सामूहिक रूप से महिलाओं के हाशिए पर जाने में कैसे योगदान करती हैं। इन मूल कारणों को संबोधित करके, हम एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं जहाँ व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में अंतर–संबंध और लिंग आधारित हिंसा अंतर–संबंध उन जटिल और परस्पर जुड़े कारकों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो लिंग आधारित हिंसा (जी.बी.वी.) को बढ़ाते हैं। कानूनी विद्वान किम्बर्ले क्रेनशॉ द्वारा गढ़ी गई, इंटरसेक्शनलिटी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पहचान के कई आयाम, जैसे जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय असमानताएँ, हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए अद्वितीय और जटिल कमज़ोरियाँ पैदा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं।

©RESEARCH STREAM JOURNAL, 2024

eISSN- 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 01, Issue 01, October 2024

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये कारक विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए जी.बी.वी. के अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाति–आधारित असमानताएँ उत्तर प्रदेश में, जाति व्यवस्था सामाजिक संरचनाओं में गहराई से समाई हुई है, जो दलित महिलाओं और निचली जातियों की महिलाओं पर असमान रूप से प्रभाव डालती है। इन महिलाओं को अक्सर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है – दोनों महिलाओं के रूप में और हाशिए पर पड़ी जातियों के सदस्यों के रूप में। यौन हिंसा और सार्वजनिक अपमान सहित जाति–आधारित हिंसा का अक्सर प्रभुत्व स्थापित करने और सामाजिक पदानुक्रम बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। कानूनी निवारण तक पहुँच की कमी और सामाजिक कलंक उनकी कमज़ोरी को और बढ़ा देता है।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक असमानताएँ जी.बी.वी. के जोखिम को बढ़ाती हैं। कम आय वाले घरों की महिलाओं में अक्सर वित्तीय स्वतंत्रता की कमी होती है, जिससे वे घरेलू हिंसा, तस्करी और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में, जाति व्यवस्था सामाजिक संरचनाओं में गहराई से समाई हुई है, जिसका दलित महिलाओं और निचली जातियों की महिलाओं पर असमान रूप से प्रभाव पड़ रहा है। इन महिलाओं को अक्सर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है – महिलाओं के रूप में और हाशिए पर पड़ी जातियों के सदस्यों के रूप में। यौन हिंसा और सार्वजनिक अपमान सहित जाति–आधारित हिंसा का अक्सर प्रभुत्व स्थापित करने और सामाजिक पदानुक्रम बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है।

कानूनी निवारण और सामाजिक कलंक तक पहुँच की कमी उनकी कमज़ोरी को और बढ़ा देती है। वर्ग और आर्थिक असमानताएँ उत्तर प्रदेश में जी.बी.वी. के जोखिमों को आर्थिक असमानताएँ बढ़ाती हैं। कम आय वाले घरों की महिलाओं के पास अक्सर वित्तीय स्वतंत्रता की कमी होती है, जिससे वे घरेलू हिंसा, तस्करी और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक खराब पहुँच उनके अपमानजनक वातावरण से बचने की क्षमता को सीमित करती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं जहाँ उन्हें यौन उत्पीड़न और वेतन भेदभाव के बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

धार्मिक मानदंड और प्रथाएँ भी जी.बी.वी. को बढ़ावा दे सकती हैं, खास तौर पर तब जब महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण को उचित ठहराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में, पारंपरिक धार्मिक रीति–रिवाजों का सख्ती से पालन करने वाले समुदाय महिलाओं की गतिशीलता, शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिससे वे दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। इसके अलावा, अंतर–धार्मिक तनाव कभी–कभी महिलाओं के खिलाफ लक्षित हिंसा के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जिससे उनका हाशिए पर जाना और भी बढ़ जाता है।

उत्तर प्रदेश में शहरी–ग्रामीण विभाजन जी.बी.वी. की प्रकृति और व्यापकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न और तस्करी जैसे अपराधों की रिपोर्ट की दर अधिक हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कलंक, जागरूकता की कमी और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन के

©RESEARCH STREAM JOURNAL, 2024

eISSN- 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 01, Issue 01, October 2024

कारण कम रिपोर्ट किए गए मामले देखे जाते हैं। और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो हिंसा के चक्र को और भी आगे बढ़ाते हैं।

इन कारकों के प्रतिच्छेदन से महिलाओं के लिए जटिल कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की एक दलित महिला को न केवल लिंग आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि जाति आधारित उत्पीड़न और आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे न्याय और सहायता प्रणालियों तक उसकी पहुँच सीमित हो जाती है। हाशिए पर डाले जाने के ये अतिव्यापी रूप जी.बी.वी. के प्रभाव को तीव्र करते हैं और इसे एकल नीति हस्तक्षेपों के माध्यम से संबोधित करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण की ओर उत्तर प्रदेश में जी.बी.वी. को संबोधित करने के लिए एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो महिलाओं के विविध अनुभवों को पहचानता है और उनका जवाब देता है। नीति निर्माताओं और हितधारकों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय असमानताएँ किस तरह से पीड़ितों के लिए अनूठी चुनौतियाँ पैदा करती हैं। इन अंतर्विषयक असमानताओं को संबोधित करने वाली लक्षित रणनीतियों को अपनाकर, जी.बी.वी. से निपटने के लिए एक अधिक समावेशी और प्रभावी ढांचा बनाना संभव है।

पितृसत्तात्मक मानदंडों को सुदृढ़ करने में संस्थानों की भूमिका शिक्षा, मीडिया और न्यायपालिका जैसी सामाजिक संस्थाएँ सांस्कृतिक दृष्टिकोण को आकार देने और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हैं। प्रगति और समानता के लिए उपकरण के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई ये संस्थाएँ अक्सर प्रणालीगत पूर्वाग्रहों, पुरानी प्रथाओं और असमान प्रतिनिधित्व के माध्यम से अनजाने में पितृसत्तात्मक मानदंडों को मजबूत करती हैं। यह सुदृढ़ीकरण लैंगिक पदानुक्रम को बनाए रखता है, लिंग आधारित हिंसा को बढ़ाता है और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति में बाधा डालता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये संस्थागत चुनौतियाँ सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता और क्षेत्रीय असमानताओं द्वारा और भी बढ़ जाती हैं।

शिक्षा शिक्षा एक मौलिक संस्था है जिसमें सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालाँकि, व्यवहार में, शिक्षा प्रणाली अक्सर अनजाने में पितृसत्तात्मक मानदंडों को बनाए रखती है लिंग–रूढ़िवादी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें और कक्षा सामग्री अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को मजबूत करती हैं, पुरुषों को निर्णय लेने वाले और प्रदाता के रूप में चित्रित करती हैं जबकि महिलाओं को देखभाल करने वाली या निष्क्रिय भूमिकाओं में दर्शाया जाता है। इस तरह की कहानियाँ छात्रों को कम उम्र से ही असमान शक्ति गतिशीलता को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हैं, जिससे महिलाओं के लिए निर्भरता और अधीनता की संस्कृति कायम रहती है। पहुँच में बाधाएँ उत्तर प्रदेश में, लड़कियों को अक्सर गरीबी, सांस्कृतिक मानदंडों और कम उम्र में शादी के कारण शिक्षा तक पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय से पहले शिक्षा छोड़ देता है। शिक्षा की यह कमी उनके आर्थिक स्वतंत्रता के अवसरों को सीमित करती है और जी.बी.वी. के प्रति उनकी भेद्यता को बढ़ाती है। शैक्षणिक संस्थानों में उत्पीड़न

©RESEARCH STREAM JOURNAL, 2024

eISSN- 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 01, Issue 01, October 2024

स्कूलों और कॉलेजों में यौन उत्पीड़न के मामले असुरक्षित वातावरण बनाते हैं, उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं। उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए संस्थागत तंत्र की कमी अक्सर ऐसे व्यवहार को सामान्य बनाती है। शिक्षकों का पूर्वाग्रह और व्यवहार शिक्षक अक्सर अनजाने में ही इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देते हैं।

स्थानीय संदर्भों और वैश्विक मानवाधिकार मानकों दोनों में निहित कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तावित करना। इन दृष्टिकोणों को अपनाकर, अध्ययन का उद्देश्य जी.बी.वी. पर अकादमिक चर्चा में योगदान देना है, साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाने के लिए व्यावहारिक सिफारिशें पेश करना है। वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भ उत्तर प्रदेश में लिंग आधारित हिंसा की व्यापक प्रवृत्तियों से तुलना लिंग आधारित हिंसा (जी.बी.वी.) वैश्विक स्तर पर समाजों को प्रभावित करने वाला एक व्यापक मुद्दा है, लेकिन इसकी व्यापकता, रूप और समाधान विभिन्न क्षेत्रों में काफी भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश, अपनी अनूठी सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ, भारत में एक अलग मामला प्रस्तुत करता है। वैश्विक पहलों की जांच करके और उन्हें राष्ट्रीय प्रयासों से तुलना करके, विशेष रूप से अन्य भारतीय राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जी.बी.वी. से निपटने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है।

वैश्विक संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय पहलों से सबक कई देशों ने जी.बी.वी. को कम करने के लिए अभिनव दृ ष्टिकोण लागू किए हैं, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अनुकूलित किए जा सकने वाले सबक प्रदान करते हैं। बांग्लादेश जमीनी स्तर और समुदाय–नेतृत्व वाले दृष्टिकोण बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक समानताओं के साथ, जमीनी स्तर की पहलों के माध्यम से जी.बी.वी. से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम जैसे गैर सरकारी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता और कानूनी साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियानों का नेतृत्व किया है। ये कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान से सशक्त बनाते हैं और समुदायों को दहेज और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माइक्रोफाइनेंस पहलरू महिलाओं को माइक्रोलोन प्रदान करने वाले कार्यक्रमों ने उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाया है, जिससे घरेलू हिंसा और जी.बी.वी. के अन्य रूपों के प्रति उनकी भेद्यता कम हुई है।

इसी तरह की पहल उत्तर प्रदेश में भी लागू की जा सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां महिलाएं आर्थिक निर्भरता का सामना करती हैं और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता की कमी है। रवांडा ने कानूनी सुधारों, सामुदायिक भागीदारी और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को एकीकृत करते हुए जी.बी.वी. से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। रवांडा सरकार ने जी.बी.वी. को संबोधित करने वाले विशेष कानूनों को लागू किया है, जैसे जी.बी.वी. की रोकथाम और सजा पर कानून (2008)। इन कानूनों को जी.बी.वी. मामलों के लिए फास्ट–ट्रैक अदालतों द्वारा समर्थित किया जाता है। रवांडा में 60% से अधिक संसदीय सीटें महिलाओं के पास हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लिंग संबंधी मुद्दे विधायी प्राथमिकता बने रहें।

©RESEARCH STREAM JOURNAL, 2024

eISSN- 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 01, Issue 01, October 2024

संदर्भ सूची–

- मानव विकास रिपोर्ट 2021/2022 (पीडीएफ)। मानव विकास रिपोर्ट। 8 सितंबर 2022 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ)। 19 दिसंबर 2022 को पुनःप्राप्त।
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 (पीडीएफ)। विश्व आर्थिक मंच। 16 जुलाई 2022 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ)। 1 मार्च 2023 को पुनःप्राप्त।
- राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। द हिंदू। चेन्नई, भारत। 10 मार्च 2010। 14 मार्च 2010 को मूल से संग्रहीत। 25 अगस्त 2010 को पुनःप्राप्त।
- स्टीन, बर्टन (2010), भारत का इतिहास, जॉन विले एंड संस, पृष्ठ 90, आईएसबीएन 978–1–4443–2351–1
- रामुसैक, बारबरा एन. (1999), दक्षिण एशिया में महिलाएं, बारबरा एन. रामुसैक, शेरोन एल. सीवर्स (सं.), एशिया में महिलाएं इतिहास में महिलाओं को पुनर्स्थापित करना, इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 27–29, आईएसबीएन 0–253–21267–7, मूल से 10 अक्टूबर 2023 को संग्रहीत, 15 अगस्त 2019 को पुनः प्राप्त
- लुडेन, डेविड (2013), भारत और दक्षिण एशिया एक संक्षिप्त इतिहास, वनवर्ल्ड प्रकाशन, पृष्ठ 101, आईएसबीएन 978–1–78074–108–6
- अकेल, एम., बेरो, जे., रहमे, सी., हद्दाद, सी., ओबेद, एस., और हॉलिट, एस. (2022)। कोविड–19 महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा।

©RESEARCH STREAM JOURNAL, 2024